ऑन लाईन नं. RCMS 2017/000143

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 14/2017

1. बलराज सिंह पुत्र बलदेव सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति सैनी निवासी चक 13 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
2. चमन सिंह पुत्र श्री गुरबक्श सिंह जाति सैनी निवासी चक 13 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचयत 3 एम.के. पंचायत समिति रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. जसवन्त सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 पीएस तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
3. सामुदायिक विकास केन्द्र चक 13 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत 3 एम.के. पंचायत समिति रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता संख्या
2. श्री राजवीर सिंह अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या

:: आदेश :: **दिनांक :–29.08.2019**

निगरानी के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण गांव 13 पीएस के निवासीयान है, प्रार्थीगण के पूर्वज मुन्शीराम द्वारा चक 13 पीएस के मुरब्बा नम्बर 28 व 29 में कृषि भूमि खरीद की थी उस समय इस कृषि भूमि के साथ चक 13 पीएस के आबादी भूमि में 100X100 फुट का एक भुखण्ड संख्या 11 भी खरीद किया था जो ग्राम पंचायत 3 एम.के. के खसरा रजिस्टर में मेहर सिंह प्रार्थी संख्या 1 के दादा अमरचन्द प्रार्थी संख्या 2 के ताया तथा गुरबक्श सिंह प्रार्थी संख्या 1 के दादा तथा प्रार्थी संख्या 2 के पिता के नाम दर्ज है इस भूखण्ड को प्रार्थीगण द्वारा 100X30 फुट पूर्व से पश्चिम घरेलू बंटवारा अनुसार बांटा हुआ है इसलिये उक्त भूखण्ड के दो हिस्से सार्वजनिक चौंक में खुलते है जिसके उत्तर दिशा में गली आम व पश्चिम दिशा में चौंक लगता था, प्रार्थीगण का उक्त भूखण्ड मुख्य रूप से चौंक में खुलता है। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत 3 एम.के. द्वारा चक 13 पीएस के इस चौंक की जगह में अनाधिकृत रूप से सामुदायिक भवन का निर्माण कर दिया गया। अब ग्रामवासियों द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 जसवन्त सिंह वगैरहा के साथ मिलकर सामुदायिक भवन की चार दीवारी के नाम पर चौंक की 100X110 फुट की जगह पर चार दीवारी करवायी जा रही है इस चार दीवारी करवाये जाने से प्रार्थीगण व ग्रामवासी चौंक का उपभोग व उपयोग करने से वंचित हो जायेगें। प्रार्थीगण का भूखण्ड जो अब 3 भाईयों में विभाजीत हो चुका है मुख्य रूप से चौंक में खुलता है, चार दीवारी करने से प्रार्थीगण का उक्त भूखण्ड में आना जाना बन्द हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण अपने उक्त भूखण्ड का उपयोग व उपभोग नहीं कर पायेंगें। मौका पर जसवन्त सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति जटसिख निवासी 13 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थीगण को उसके भूखण्ड के उपभोग व उपयोग से वंचित करने के उद्देश्य व राजनीतिक रंजिश की

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

वजह से समस्त चौंक पर अनाधिकृत चार दीवारी करवायी जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा एक शिकायत 03.10.2017 को दर्ज करवायी और शिकायत दर्ज करवाने के बाद प्रार्थी ने जब सरपंच ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि सामुदायिक विकास केन्द्र का पट्टा दिनांक 20.10.2011 को जारी हुआ है। मैने तो उसके अनुसार ही चार दीवारी बनाने की एन.ओ.सी. दिनांक 21.09.2017 को दी है अगर चार दीवारी गलत बनाई जा रही है तो मुझे कोई दोष नहीं है चार दीवारी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बनाई जा रही है। इस बात की जानकारी होने पर अप्रार्थी सख्या 1 से उक्त पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपि व एन.ओ.सी. की फोटो प्रति व आबादी भूमि की नक्शा की व स्वयं को आवंटित भूखण्ड संख्या 11 के खसरा रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तो प्रार्थीगण को पता चला कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में गलत रूप से दिनांक 20.10.2011 को आबादी भूमि का निःशुल्क विक्रय विलेख प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा कर दिया गया है जबकि सार्वजनिक चौंक पर ऐसा आवंटन नहीं किया जा सकता था। लिहाजा निगरानीकृत आदेश दिनांक 20.10.2011 संकल्प संख्या 2 जिसके आधार पर ग्राम पंचायत 3 एम.के. द्वारा अनाधिकृत रूप से चौंक में गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 3 के हक में आवंटन कर दिया गया व इस आवंटन पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एन.ओ.सी. दिनांक 21.09.2017 जारी कर दी गई है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा गलत तरीके से सार्वजनिक चौंक की जगह पर चार दीवारी का निर्माण किया जा रहा है उक्त दोनो आदेशों को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज मुन्शीराम द्वारा चक 13 पीएस के मुरब्बा नम्बर 28 व 29 में कृषि भूमि खरीद की थी उस समय इस कृषि भूमि के साथ चक 13 पीएस के आबादी भूमि में 100X100 फुट का एक भुखण्ड संख्या 11 मेरे पडदादा को आवंटित हुआ था। उक्त भूखण्ड को मेहर सिंह, कर्मचन्द, गुरबक्शा ने 1/3–1/3 हिस्सा अनुसार आपस में घरू बंटवारा किया गया जिसमें से 1/3 हिस्सा मेरे कब्जे में है। उक्त तीनों हिस्से मुख्य चौंक में खुलते है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 ने चारदिवारी चौंक में बनानी शुरू की जिससे मेरा रास्ता प्रभावित हुआ क्योंकि मेरे भूखण्ड में जाने का ओर कोई रास्ता नहीं है। दिनांक 03.10.2017 को मेरे द्वारा उक्त विवादित प्लाट की चारदिवारी की शिकायत करने पर मुझे दिनांक 20.10.2011 के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पट्टे की जानकारी हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को आवंटित पट्टा दिनांक 20.10.2011 सार्वजनिक चौंक में आवंटित किया गया है। चौंक का उपभोग सार्वजनिक सुन्दरता के लिए हो सकता है। आवंटन बाबत ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रकिया नहीं अपनायी गयी। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम का नियम 162 सार्वजनिक उद्देश्य है। उक्त आवंटन राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से मुझे 03.10.2017 को इस पट्टे की जानकारी हुई तो मैने तत्काल रिविजन पेश की। RLR 2002-v-II Page 39 (अवैध आदेश जिससे प्रथम दृष्टया कानून की अवहेलना हुई है तो लिमिटेशन लागू नहीं) आदेश 20.10.2011 शुरू से Null & Void है। अप्रार्थी संख्या 02 जनसहयोग से चार दिवारी बना रहा है। ग्राम पंचायत ने कोई पक्ष नहीं रखा है। मेरा रास्ता अवरूद्व हो रहा है यदि पट्टे की भूमि पर चारदिवारी करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.10.2011 Null & Void है। सार्वजनिक चौंक पर ऐसा कोई भी आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः मेरी रिविजन स्वीकार की जावें।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्ताव संख्या 10 , पट्टा सख्या 1 दिनांक 20.10.2011 के विरूद्व पेश की है। 21.09.2017 को एन.ओ.सी. जारी

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जिसमे गैरनिगरानीकर्ता सख्या 03 द्वारा चारदिवारी का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। उक्त विवादित भूखण्ड पूर्व से पश्चिम बंटवारा किया जिसका रास्ता चौंक में खुलता हो ऐसा कोई दस्तावेज निगरानीकर्ता द्वारा पेश नहीं किया गया है। गांव में निःशुल्क सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता थी जिसका बजट भी आया था। राज्य सरकार के बजट से निर्माण हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का पट्टा नहीं होने से महज पट्टा जारी किया गया है। वर्ष 2011 में पट्टा जारी होने से इनकी जानकारी में था किन्तु उक्त विवादित जगह का गैरनिगरानीकर्ता उपभोग कर रहे थे इसलिए आपत्ति नहीं की । अतः निगरानीकर्ता की निगरानी लिमिटेशन के आधार पर ही खारिज योग्य है। सार्वजनिक चौंक पर चारदिवारी बनाने की ग्राम पंचायत ने एन.ओ.सी. दी जो लगभग पूर्ण है अब अटका रखा है जिसका कोई आधार नहीं है। उक्त निर्माण मैं मेरा को व्यक्तिगत हित नहीं है यह तो ग्राम पंचायत का सार्वजनिक कार्य है। गैरनिगरानीकर्ता का कोई रास्ता प्रभावित नहीं हो रहा है इनके दोनो तरफ रास्ता उपलब्ध है। चौंक एक सार्वजनिक जगह है चौंक कोई रास्ता नहीं है। आवंटन नियम निजी आवंटन पर लागू होते है। इसमें स्वामित्व ग्राम पंचायत का है एवं दिनांक 20.10.2011 के प्रस्ताव पर किसी का विरोध नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत के पट्टा दिनांक 20.10.2011 एवं एन.ओ.सी. दिनांक 21.09.2017 के विरूद्व निगरानी की है। मूल प्रस्ताव रजिस्ट्रर से संकल्प संख्या 02 का परीक्षण किया। ग्राम पंचायत द्वारा जो आवंटन किया गया है वह सार्वजनिक हित में किया गया है किसी व्यक्ति विशेष को आवंटन नहीं किया गया। चारदिवारी भी ग्राम पंचायत के एन.ओ.सी. के अनुरूप होने पर ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 02 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यता प्रतीत नहीं होती है। अतः निगरानी खारिज की जाती है एवंम ग्राम पंचायत सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि जितनी भूमि के लिए पट्टा जारी किया गया है उतनी भूमि पर ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हो एवं साथ ही जितनी भूमि की चारदिवारी की मंजूरी दी गई है उतनी भूमि पर ही चारदिवारी का निर्माण हो। उक्त निर्देश के साथ निगरानी निस्तारित की जावे। आदेश की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत 3 एम.के. को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.जैन)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर